

भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 892
07 फरवरी, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

सरकारी अस्पतालों में चिकित्सकों की कमी

892. श्री योगेन्द्र चांदोलिया:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में चिकित्सकों की कमी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार संपूर्ण देश के केंद्रीय सरकार के अस्पतालों में राज्य/संघ राज्यक्षेत्रवार सामान्य और आईसीयू बिस्तर बढ़ाने का है और यदि हां, तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार संपूर्ण देश के केंद्रीय सरकार के अस्पतालों में चिकित्सकों की संख्या बढ़ाने का है और यदि हां, तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के अस्पतालों सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्रवार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सहित संपूर्ण देश में राज्य/संघ राज्यक्षेत्रवार चिकित्सा महाविद्यालयों को बढ़ाने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) दिल्ली के अस्पतालों में पिछले पांच वर्षों के दौरान आज की तारीख तक चिकित्सकों, परिचारकों और सामान्य और आईसीयू बिस्तरों की संख्या वर्षवार कितनी बढ़ाई गई है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (ग): दिल्ली के केन्द्र सरकार के अस्पतालों में चिकित्सकों की संख्या अनुलग्नक -I में दी गई है। बिस्तरों की संख्या में वृद्धि, पदों के सृजन और चिकित्सकों एवं अन्य स्टाफ के रिक्त पदों को भरने सहित केन्द्र सरकार के अस्पतालों में बढ़ती हुई आवश्यकताओं और कार्यात्मक आवश्यकता को पूरा करने के लिए स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाओं में वृद्धि करना एक सतत प्रशासनिक प्रक्रिया है।

(घ): स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय मौजूदा जिला/रेफरल अस्पतालों से संबद्ध नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के लिए एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना (सीएसएस) चलाता है जिसमें अल्पसेवित क्षेत्रों और आकांक्षी जिलों, जहां कोई मौजूदा सरकारी या निजी मेडिकल कॉलेज नहीं है, को प्राथमिकता दी जाती है। इस स्कीम के अंतर्गत 157 मेडिकल कॉलेज अनुमोदित किए गए हैं, जिनमें से 131 कार्यशील कर दिया है।

(ङ): दिल्ली के केन्द्र सरकार के अस्पतालों में पिछले पांच वर्षों के दौरान चिकित्सकों, नर्सिंग कार्मिकों और बिस्तरों की बढ़ी हुई संख्या अनुलग्नक-II में दी गई है।

दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में चिकित्सकों की उपलब्धता का विवरण

| क्र.सं. | दिल्ली के सरकारी अस्पताल का नाम | चिकित्सकों की संख्या | | |
|---------|---|----------------------|---------|-------|
| | | स्वीकृत | भरे हुए | रिक्त |
| 1. | सफदरजंग अस्पताल | 631 | 510 | 121 |
| 2. | डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल | 412 | 312 | 100 |
| 3. | लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज एवं सहबद्ध अस्पताल | 383 | 294 | 89 |
| 4. | ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र (आरएचटीसी) | 46 | 29 | 17 |

पिछले पांच वर्षों के दौरान दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में चिकित्सकों, नर्सों और सामान्य और आईसीयू बिस्तरों की संख्या में वृद्धि

| सरकारी अस्पतालों के नाम | चिकित्सकों की संख्या (बढ़ाई गई) | नर्सिंग कार्मिकों की संख्या (बढ़ाई गई) | सामान्य और आईसीयू बेड की कुल संख्या (बढ़ाई गई) |
|---|------------------------------------|---|---|
| डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल | 99 | 37 | 91 |
| सफदरजंग अस्पताल | 78 | 113 | 122 |
| लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज एवं सहबद्ध अस्पताल | 30 | शून्य | 571 |
| ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र | 30 | 41 | 175 |
